495/-

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/07 से 3/2010

1 (क) प्रारम्भिकः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 4/07 से 3/10 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	अनुदान की राशि दिनांक 31.3.10 तक व्यय हेतु शेष	5.1	144.39
2	दुकानों के किराये की वसूली न करने बारे	7	28.75
3	प्लाटों के किराये की दिनांक 31.3.10 तक वसूली न करना	7.1	3.20
4	अग्रिम की राशि का दिनांक 31.3.10 तक समायोजन शेष	8	3.52
5	संशोधित वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान	26	0.23
6	पैन्शन/ग्रेच्यूटी की राशि की अधिक कटौती बारे	26.8	0.40
7	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान बारे	27	2.27
8	डुप्लीकेट बिल के आधार पर भुगतान करने बारे	32	0.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अव[illegible] के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "ज" पर दर्शाई गई [illegible] देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा को[illegible] नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पै[illegible] विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस [illegible] करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारण सम्भव हो सके।

2 **वर्तमान अंकेक्षण:–**

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 1.4.2007 से 31.3.2010 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री हरदेव सिंह शांडिल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.3.2011 से 29.7.2011 तक किया गया। विस्तृत लेखा परीक्षण के लिए आय के लेखाओं माह 3/08, 4/08, 3/10 व व्यय के लेखाओं माह 1/08, 4/08, 1/2010 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में दर्शाया गया है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है तथा किसी प्रकार की सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करने तथा गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नही होगा। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित मांसों तक ही सीमित होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:–**

परिषद के अवधि 1.4.07 से 31.3.10 तक के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹55200/– (₹पचपन हजार दो सौ केवल) बनता है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़, हिमाचल प्रदेश की अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 1 दिनांक 29.7.11 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति:–**

(1) अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:–

परिषद के स्वस्त्रोतों से प्राप्त आय:–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2007–08	64,82,819.27	10882771.00	1,73,65,589.27	6936357	10429232.27
2008–09	1,04,29,232.27	10571026.00	2,10,00,258.27	7044136	13956122.27
2009–10	1,39,56,122,27	128037432.74	2,67,59,866.01	15840140	10919726.01

अनुदान से प्राप्त आय

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2007–08	5308781	6280241	11589022	6356355	5232667
2008–09	5232667	18090188	23322855	8890188	14432667
2009–10	14432667	8410304	22842971	8428304	14414667

दिनांक 31.3.10 को परिषद के स्व: स्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष	10919726.01
अनुदान राशि का अन्तिम शेष	14414667
योग	2,63,34,393.01

498 –

वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनॉक 31.3.2010 को अन्तिम शेष 2,53,34,393.01

(1) युको बैंक का दिनॉक 4.5.07 की आय का चैक संख्या 740410 जिसे भुनाया नहीं गया। (–) 4000.00

(2) व्यय चैक संख्या 08822383 दिनांक 11.7.07 की राशि कैश बुक में गलती से ₹24093 के स्थान पर ₹23,250 दर्ज की गई (–) 793

2,53,29,600.01

कैश बुक में दिनॉक 6.12.07 को आय को गलत योग के कारण बैंक में अधिक जमा राशि (+) 900

परिषद कर्मचारियो की अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की राशि जिसका भुगतान निम्न चैक द्वारा किया गया परन्तु इस राशि को निम्न विवरणानुसार कैश बुक की आय मे जमा किया गया

चैक संख्या	दिनांक	जी.8 संख्या जिस द्वारा कैश बुक में उक्त राशि जमा की गई	राशि
0197703	5.7.07	16/181 दिनांक 7.11.07	69993
033474	7.10.08	16/195 दिनांक 8.10.08	122468
035322	20.1.09	96/205 दिनांक 21.1.09	108943
			(–) 301404
		योग	2,50,29,096.01

चैक संख्या 223235 दिनांक 15.6.09 की राशि कैश बुक में ₹79378 दर्ज की गई जबकि भुगतान बैंक द्वारा ₹89338/–का किया गया (79378–89338) (–) 9960.00

जोगिन्द्र सैन्ट्रल बैंक की जे0सी0सी0बी0/टी0डी0आर0 खाता संख्या 1620 (क्रम संख्या–110469) दिनांक 20.6.08 की परिपक्वता की तिथि 21.6.11 पर देय ब्याज को कैश बुक मे माह 6/2008 मे गलती से लिया गया (123897–82103) (–) 41794.'00

योग 2497734201

इलाहाबाद बैंक का चैक संख्या 034288 दिनांक 1.1.09 का जो कि कैश बुक मे ₹27180/–का दर्ज किया गया जबकि बैंक द्वारा भुगतान ₹23180/–का किया गया (27180–23180) (+)

बैंक मे दिनॉक 25.2.09 को कम जमा राशि (7770–7730) (–

धारा का संधारण रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेख मे किया जाए।

1199 —

बैंक में दिनांक 30.3.09 को कम जमा राशि (13934—13894)	(—) 40
बैंक में दिनांक 2.1.09 को कम जमा राशि (30479—30469)	(—) 10
दिनाक 31.3.2007 को पी0एल0ए0 खाते मे जमा राशि इलाहाबाद बैंक मे जी8 संख्या 43/247 दिनाक 22.2.10 द्वारा जमा किया गया	(—) 984.49
दिनांक 31.3.10 को बैंक मे अधिक जमा राशि (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के अनुसार)	(+)24219.00
योग	2,50,04,486.52
दिनांक 31.3.10 को कैश बुक मे जमा राशि	25004486.52
दिनाक 31.3.10 की आय जिसे बैंक मे 1.4.2010 को जमा किया गया	(—) 161064

जारी चैक जिनको 31.3.10 तक भुगतान हेतु बैंक मे प्रस्तुत

चैक संख्या	दिनांक	राशि	
040490	2.3.10	5634	
041703	19.3.10	9280	
041710	30.3.10	181430	
041714	31.3.10	50000	
040423	18.1.10	5560	+ 251844.00

चैक संख्या 002472 दिनांक 15.3.10 आय जिसे 31.3.10 तक बैंक द्वारा भुगतान खाते में जमा नही किया गया	(—) 7388.00
	25087878.52

बैंक में जमा का विवरण

उपरोक्त ₹25087878.52 की राशि विभिन्न बचत खातों व सावधी जमा खातों में दिनांक 31.3.10 को निम्न विवरणानुसार जमा थी

(क) **बचत खातों में जमा राशि**

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
इलाहाबाद बैंक	620	1929701.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	451865	97205.60
पंजाब नैशनल बैंक	130647	859483.73
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	8288	77183.00
जी0सी0को0 बैंक	11432	50370.00
जी0सी0को0 बैंक	515	359522.00
यूको बैंक	0006450	80239.74
स्टेट बैंक ऑफ	606029	14110.00

[illegible] का लेखांकन रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेख में किया जाए।

पटियाला (ADB Branch)		
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (IDSMT)	452235	397109
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	01100050033	5475.30
		3477261.52

(ख) सावधि खातों में जमा राशि का विवरण

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	720	301034
ओ०बी०सी० बैंक	1620 (No. 33562)	268488
—यथोपरि—	1620 (No. 110489)	140957
—यथोपरि—	1620 (No. 033561)	430038
पी०एन०बी०	6222	200053
पी०एन०बी०	6213	86614
पी०एन०बी०	140	1006287
पी०एन०बी०	104	594339
पी०एन०बी०	108	5333000
पी०एन०बी०	256	1099339
इलाहाबाद बैंक	7	1089951
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	(ADB-2672)	2010712
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	(ADB-2571)	9048205
	योग	2,16,10,617

(क) व (ख) का कुल योग 3477261.52 + 21610617 = 25087878.52

(2) कैश बुक में न योग किया जाना और न सत्यापित किया जाना।

(क) वर्ष 2005-06 व 2006-07 की कैश बुक में योग न किये जाने के कारण कैश बुक में 31.3.07 की बकाया राशि नहीं दर्शाई गई थी, इसलिए वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक

राशि का लेखांकन रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेख में किया जाए।

1.4.07 को कैश बुक का दिनांक 31.3.07 की अन्तिम शेष राशि न दर्शा कर बैंक खातों मे दिनांक 31.3.07 को अन्तिम शेष राशि को ही प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया है जिसका विवरण इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

(ख) रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना:-

हिमाचल म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड–1975 के अध्याय–III के नियम 19 (3) के अनुसार कैश बुक को अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है जबकि कैश बुक को अध्यक्ष से सत्यापित नहीं करवाया गया था जो कि अनियमित है भविष्य मे कैश बुक को अध्यक्ष से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कैश बुक में अनेक ओवर–राईटिंग/कटिंग की गई है। इस प्रकार की गई कटिंग/ओवर राईटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नही कराया गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल है भविष्य में रोकड़ वही में कटिंग व अधिलेखन न किया जाए।

(घ) कैश बुक मे कही योग अधिक तो कही कम किये गये है तथा कैश बुक का नियमित रूप से बैंक से मिलान नहीं किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार बैंक खातों मे राशि ₹95/–कम जमा किये गये जिसे शीघ्र बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

दिनांक	कैश बुक में प्राप्त राशि	बैंक में जमा राशि	कम जमा राशि
17.1.08	2356	2351	5
2.1.09	30479	30469	10
25.2.09	7770	7730	40
20.3.09	13934	13894	40
		योग	95

(ङ) कैश बुक में वाऊचरों द्वारा भुगतान की गई राशियों की सही प्रविष्टि न किया जाना:-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाऊचरों द्वारा भुगतान की गई राशियॉं कैश बुक मे वाऊचर वार सही दर्ज नही की गई थी और न वाऊचरो के योग सही किये गये थे जो कि अनियमित है जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:-

दिनांक	वाऊचरों का वास्तविक योग	वाऊचर का कैश बुक मे दर्शाया गया योग व बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि	अन्तर
1.8.08	507284	506784	500
1.12.08	578833	578708	125
			625

राशि का लेखांकन रोकड़ वही तथा सम्बन्धित ...

5 अनुदान:—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों व उनसे किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

5 (1) अनुदान की राशि ₹144.39 लाख दिनांक 31.3.10 तक व्यय हेतु शेष:—

दिनांक 31.3.10 तक अनुदान राशि ₹14438886/— व्यय हेतु शेष थी। इस राशि का अनुदान बार ब्यौरा परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। परिषद इस राशि का व्यय अनुदान उपयोगिता समय बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित उद्देश्यों के लिए करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेश:—

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न सावधी खातों में निवेश की गई राशियों का विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

इन सावधि खातों के रख—रखाव मे निम्न आपत्तियॉं पाई गई जिनका समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सावधी खातों के रख—रखाव का रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान ही तैयार किया गया जबकि इस रजिस्टर मे नियमित रूप से सावधि खातों में निवेशित राशि, परिपक्वता की तिथि व प्राप्त ब्याज का विवरण दिया जाना अपेक्षित है ताकि सावधि खातों के रख—रखाव में अनियमितता की सम्भावना न रहे। भविष्य में सावधि खातों के निवेश रजिस्टर में निवेशित राशि, निवेश के समय ही दर्ज की जाए तथा समय—2 पर प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि भी इस रजिस्टर में ब्याज प्राप्ति की तिथि को ही की जानी सुनिश्चित की जाए। परिपक्वता पर प्राप्त राशि का ब्याज सहित पूर्ण विवरण रजिस्टर में दिया जाए ताकि सावधि खातों के रख—रखाव में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

6.2 पंजाब नैशनल बैंक के बचत खाता संख्या 2721000—00130647 में सावधि खाता संख्या 272100 PS 0000168 (परिशिष्ट "ग" क्रम संख्या 21) में माह 4/2007 मे ₹53,33000/— की राशि निवेश की गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सावधि खातों की सूचना परिशिष्ट "ग" के अनुसार अवधि 4/07 से 3/10 तक उपरोक्त सावधि खाते के विरूद्ध कोई भी ब्याज की राशि प्राप्त नही हुई। इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा बैंक के साथ कोई भी पत्राचार नही किया गया। इतनी अधिक राशि पर पिछले 4 वर्षो से कोई ब्याज प्राप्त न होना तथा इस सम्बन्ध मे नगर परिषद द्वारा बैंक से कोई भी पत्राचार न किया जाना, एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला बैंक के साथ उठाया जाऐ तथा ब्याज की राशि का लेखांकन रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेख में किया जाए।

6.3 परिशिष्ट "ग" की क्रम सख्या 1 पर दर्शाए गये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के खाता संख्या 55123513754 पर प्राप्त ब्याज ₹15097, ₹18279 व ₹15651 की राशि की पुष्टि बैंक द्वारा दिनांक 27.4.11 को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर की गई क्योंकि सावधि खातों की परिपक्वता पर ब्याज को न निवेश रजिस्टर व न अन्य किसी अभिलेख में दर्ज किया गया था। अतः भविष्य मे प्रत्येक सावधि खाते की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज को सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज किया जाए ताकि सावधि खाते के रख–रखाव में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

7 आयः–

दुकानों के किराये की राशि ₹28.75 लाख की वसूली न किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2010 तक दुकानें के किराये की राशि ₹2874647/–वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया। इस राशि की वसूली न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को शीघ्र अवगत किया जाऐ।

7.1 प्लाटों के किराये राशि ₹3.20 लाख की दिनांक 31.3.10 तक वसूली न किया जानाः–

नगर परिषद द्वारा आवंटित प्लाटों के किराये राशि ₹3,19,771/– दिनांक 31.3.10 को वसूली हेतु शेष थी जिस का विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करें।

7.2 गृह करः–

अधियाचना संख्या शून्य दिनांक 28.6.2011 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित व अंकेक्षण अवधि के गृह कर मॉग प्राप्ति व बकाया राशि की सूचना उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप गृह कर की अंकेक्षण अवधि की मॉग, वसूली व बकाया गृह कर की राशि की पुष्टि नही हुई जिसका कारण गृह कर से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान मे आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7.3 बिजली शुल्कः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0-(डी) (1)-9/94 दिनांक 24.6.2000 के अनुसार परिषद क्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से वर्ष 2007-08 व 2008-09 के ₹209258.00 वसूले गये जिसका विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है। वर्ष 2009-10 के बिजली शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसकी वसूली हेतु यह मामला बिजली बोर्ड से शीघ्र उठाया जाए।

7.4 शराब शुल्क की वसूली बारेः—

नगर परिषद के क्षेत्र मे बिकने वाली शराब पर वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 के दौरान शराब शुल्क की ₹519793 की राशि प्राप्त हुई जिसका विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है।

7.5 मोबाईल टावर शुल्क की वसूली बारेः—

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT-2005 (Misc) दिनांक 22.8.06 अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने हेतु ₹10,000/-स्थापना शुल्क तथा ₹5000/-वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया। अधियाचना संख्या 1, दिनांक 18.7.11 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापित मोबाईल टावर व प्राप्त वार्षिक शुल्क का विवरण उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त विवरण उपलब्ध नहीं किया गया। अतः विवरण उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

7.6.1 शौचालय के किराये की राशि ₹1680/-को कैश बुक में जमा न करने बारेः—

बस स्टैंड नालागढ़ के शौचालय को निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान एक वर्ष के लिए ठेके पर दिया गयाः—

वर्ष	ठेकेदार का नाम जिसे ठेके पर दिया गया	प्रतिदिन का किराया
2007-08	श्री सुनील	280
2008-09	श्री सुनील	280
2009-10	श्री अनिल	400

शौचालय की आय के रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तिथियों को शौचालय किराये राशि ₹1680 को जमा नही किया गया जिसे शीघ्र कैश बुक मे जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

505 —

दिनांक	राशि जो जमा नहीं की गई
19.8.07	280
20.8.07	280
21.8.07	280
22.8.07	280
15.9.07	280
31.7.08	280
योग	**1680**

7.6.2 अवधि 1.9.08 से 31.3.10 तक की शौचालय की दैनिक आय को रजिस्टर में दर्ज न करके सीधे ही कैश बुक में जमा जमा किया गया था जो कि अनियमित है। भविष्य में शौचालय की दैनिक आय को शौचालय आय रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त कैश बुक में जमा किया जाए ताकि आय में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

7.7 बस अड्डे की नीलामी से प्राप्त आय की राशि ₹2500/–की कम वसूली बारे:–

बस अड्डे के नीलामी मॉग एवं संग्रह रजिस्टर के अनुसार, बस अड्डे का वर्ष 2007–08 का ठेका श्री सुनील कुमार को दिनॉक 18.4.07 से 31.3.08 तक ₹9,01,000/–मे दिया गया। दिनॉक 18.4.07 से 30.4.2007 तक के ठेके के 13 दिनों में स्थान पर (9,01,000÷12) (75083÷30)x12=₹30036 जमा किये गये जबकि राशि ₹32536/– जमा किये जाने अपक्षित थे। अतः 32536–30036=₹2500/–को शीघ्र कैश बुक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

7.8 राशि ₹1000/–की कम वसूली बारे:–

रसीद संख्या 77/250, दिनांक 20.3.2010 द्वारा श्री हरीश कुमार बसी से किराये के ₹4147/–वसूले जाने थे, परन्तु सही योग न करने के कारण ₹3147/–वसूले गये। अतः कम वसूले गये (4147–3147)=₹1000/–की राशि को शीघ्र कैश बुक मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

7.9 किराये की राशि ₹1884/–की कम वसूली बारे:–

किराये के मॉग एवं संग्रह रजिस्टर के अंकेक्षण मे पाया गया कि दुकान संख्या 101 जो श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र गोविन्द सिंह के नाम आवंटित थी, परन्तु वर्ष 2007–08 मे उक्त
जो श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र गोविन्द सिंह के नाम आवंटित थी, परन्तु वर्ष 2007–08 मे उक्त दुकान बुध राम सुपुत्र माडू राम को आवंटित कर दी गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त दुकान का वर्ष 2007–08 का किराया ₹787/–प्रति माह की दर से (787x12)=₹9444/– व गत वर्ष का बकाया किराया ₹13406/–सहित कुल वार्षिक किराया मॉग ₹22850/–बनती है जबकि कुल किराया, मॉग किराया एवं संग्रह रजिस्टर में (7560+13406)=₹20966/– दर्शाई गई थी जिस कारण (22850–20966)=₹1884/–के किराये की कम वसूली हुई। अतः इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.11 स्लाटर हाऊस की टिकट बुक में टिकटों की संख्या क्रम वार प्रिंट न करवाया जाना:–

स्लाटर हाऊस की टिकट बुक संख्या 46 जो कि 17.4.08 से 23.5.08 तक उपयोग की गई थी, के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 2 रसीदे क्रम बार प्रिंट करने के उपरान्त 2 रसीदें छोड़ कर आगामी क्रम संख्या की रसीदें प्रिंट की गई थी, उदाहरणार्थ टिकट बुक में 1, 2 क्रम संख्या की रसीदें प्रिंट न करके 3, 4 क्रम संख्या की रसीदें प्रिंट की गई थी तथा 5–6, 9–10, 13–14, 17 व 21–22, 25–26, 29–30 इत्यादि क्रम संख्या की रसीदें प्रिंट नहीं की गई थी। उक्त टिकट बुक में 1 से 100 तक की क्रम संख्या को पैन द्वारा कटिंग/ओवर राईटिंग द्वारा लिखा गया था तथा इसे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही टिकट बुक में उपलब्ध टिकट संख्या से सम्बन्धित प्रमाण दिया गया था जो कि अनियमित है तथा इस प्रकार आय में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। भविष्य में प्रत्येक टिकट बुक में टिकट जारी करने से पूर्व टिकट बुक मे उपलब्ध टिकटों की संख्या से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अग्रिम की राशि ₹3.52 लाख का दिनांक 31.3.10 तक समायोजन शेष:–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनॉक 31.3.2010 तक ₹3,51,757/–के अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे। इतनी अधिक मात्रा के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना नियमों के विपरीत है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। समायोजन हेतु ठोस कार्यवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ। इन अग्रिमों का विवरण परिशिष्ट "छ" में दर्शाया गया है।

.1 नियमानुसार समय–2 पर परिषद द्वारा भुगतान किये गये अग्रधन के लिए एक अग्रिम रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है, परन्तु परिषद द्वारा अग्रधन के रजिस्टर का रख रखाव उचित ढंग से नही किया गया इस रजिस्टर में भुगतान किये गये समस्त अग्रधन दर्ज किये जाऐ तथा इनके विरूद्ध समायोजित अग्रधन की राशि का वाऊचर संख्या व शेष राशि

जिस रसीद द्वारा कैश बुक में जमा किया गया हो का पूर्ण विवरण दिया जाऐ ताकि अग्रघन के समायोजन में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

9 मजदूरों को मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किये जाने बारेः–

निम्न विवरणानुसार चयनित माह में रास्तों व नालियों को बनाने व रिपेयर के कार्य के लिए मजदूरों को मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	वा0सं0	माह	अवधि	कार्य का विवरण	जितनें मजदूर को भुगतान किया गया	कुल दिन	दर	भुगतान की गई राशि	
1	28	1/08	1.12.07 से 31.12.07	Repair of path with bituman in both bazar roods and park rood	5 मजदूर	151x75		11325	
2	37	4/08	1.3.08 से 31.3.08	Re- constriction of street in ward No. 8	1 मिस्त्री 4 मजदूर	29x127 (4x27)x100		3683 10800	
3	24	5/88	1.4.08 से 30.4.08	Repairing of drain & constriction of street in ward No. 8 Nalagarh	1 मिस्त्री 5 मजदूर	30x127 (5x30)x100		3810 15000	18810

उपरोक्त मस्ट्रोल के भुगतान में निम्न अनियमितताऐं पाई गई जिसका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

उपरोक्त किये गये कार्य की प्रगति (Progress) को न M.B. व अन्य किसी अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया जिससे इन कार्यों के लिए जारी की गई तारकोल, सीमेन्ट, रेत व बजरी इत्यादि के उपयोग की जाच नही की जा सकी। अतः परिषद उपरोक्त निर्माण कार्यों में करवाई गई मदों का विस्तृत विवरण मापन पुस्तिका में दर्ज करने के साथ–2 सामान के उपयोग का विवरण भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

9.1 उपरोक्त मस्ट्रोल में दर्शाये गये कार्य "Repair of path with Bitumen" "Re-constriction of street" Repairing of drain & re- constriction of street in ward No. 8" के कार्यों का निष्पादन वार्ड नं0 8 में किस स्थान व गली में किया गया का विवरण न तो मस्ट्रोल व न ही अन्य किसी अभिलेख में दिया गया। इस प्रकार मस्ट्रोलों द्वारा करवाये गये कार्य वार्ड में किस

स्थान पर वास्तव में करवाये गये या केवल मस्ट्रोल द्वारा भुगतान ही दर्शाया गया, की पुष्टि अभिलेख से नहीं होती है। यह भुगतान सन्दिग्ध प्रतीत होते हैं। अतः जारी मस्ट्रोलों पर कार्य का पूर्ण विवरण दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में मस्ट्रोलों पर कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 मजदूरों द्वारा मस्ट्रोल में वेतन प्राप्ति के लिए लगाये गये अगूंठे के निशान को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नही करवाया गया। उदाहरणार्थ क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गये कार्य के लिए 3 मजदूरों द्वारा भुगतान प्राप्ति के लिए अंगूठा लगाया गया मस्ट्रोल में मजदूरों की आयु व पत्ता नहीं लिखा गया था जिससे मजदूरों को किये गये भुगतानों में अनियमितता की आंशका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

9.3 मस्ट्रोल के कार्य करवाने से पूर्व कार्य का अनुमान तैयार नही किया गया था जबकि नियमानुसार कार्य का अनुमान निगम अभियन्ता से पारित करवाया जाना आवश्यक है।

9.4 **मस्ट्रोल के भाग II व III को पूर्ण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार इसे पूर्ण किया जाना आवश्यक है।**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2007 के विभिन्न पैरों द्वारा भी मस्ट्रोलों द्वारा किये गये कार्यो मे निर्माण सामग्री के प्रयोग व खपत तथा मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरों को किये गये भुगतानों में लाखों रूपये की अनेक गम्भीर अनियमितताओं का वर्णन किया गया परन्तु विभाग द्वारा इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिन में से कुछ का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

पैरा सं0	राशि
7 (ix)	1589123
7 (xi)	195008
7 (xiii)	58876
योग	1843007

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों व अनियमितताओं के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों से अनुरोध है वर्तमान अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के अतिरिक्त समस्त माहों में मस्ट्रोल द्वारा करवाये गये कार्य व इनमें प्रयोग की गई निर्माण सामग्री की खपत व मस्ट्रोलों के भुगतानों की विस्तृत जाँच विभागीय स्तर पर करवाई जाए तथा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 तारकोल का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने बारेः—

बार–2 मौखिक अनुरोध व लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 1 दिनांक 15.6.11 द्वारा तारकोल का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु नगर परिषद से अनुरोध किया गया,

परन्तु इसके बावजूद तारकोल का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11 **तारकोल के खाली ड्रमो का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-**

लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 2, दिनॉक 15.6.11 व संख्या 1, दिनांक 28.6.11 द्वारा तारकोल के खाली ड्रमो की सूचना निम्न प्रपत्र पर प्रस्तुत करने हेतु नगर परिषद से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त सूचना अकेक्षण को उपलब्ध नहीं की गई जिस का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अपेक्षित सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जाए।

12 **डम्बल टाईलों को लगाने के कार्य में पाई गई अनियमितताऐ:-**

निम्न विवरणानुसार नगर परिषद क्षेत्र में डम्बल टाईलों को लगाने के लिए श्री राजेश कुमार, ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

वा0सं0	माह	किये गये कार्य का विवरण	राशि
61/08	4/08	प्रोवाईडिंग व लेईंग डम्बल टाईल इन वार्ड नं0 2	22577
62/08	4/08	प्रोवाईडिग एड लेईंग इन्टर लोकिग टाईल इन सिटन चौक वार्ड नं0 1 व 6	21591
63/08	4/08	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग डम्बल टाईल इन वार्ड नं0 3	15065

उपरोक्त डम्बल टाईलों को लगाने के कार्य के लिए किये गये भुगतानों का मद बार विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of items	Name of work Prov. & Laying Damble tiles in ward No. (2) Nalagarh	Prov. and fixcing inter Locking tiles shittan mata chowk	Prov. & fixcing damble tiles in ward No. 3
(1) Laying of 40mm nominal size stone aggregate dry Laid in down portion of chowk bed by labour qty. 12.80 cum @ ₹135 per cum	12.80x135 1728	12.80x135 1728	6.43 Cumx135 868
(2) Laying cement cincrete tiles tendion king Damble Pover tiles 60,, thick size over 50mm thick sand of appoved design and shad as per instuction qty.	18761	tiles inter Lockindg Pover damble tiles 80mm thick	do 60mmsize over 50mm ------

510—

536.03 Sqm @ ₹35/- Sqm		course sand of approved design over 50mm thick	364.75x35=12767
(3) Laying cement concrete 1:2:4 with 20mm nominal size of stone aggregate and curring complete excluding the cost of form is re-inforcement qty 6.691 cum @ ₹300	2088	7.76 cumx300 =2328	4.767x300=1430
(4) Laying of cement mortor over tiles flooring work for rooking out laiuts etc. qty 536 Sqm		501Sqm	364.76Sqm
	22577	**21591**	**15065**

उक्त कार्य के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताऐं पाई गईः–

12.1 इन कार्यो के अनुमान, टैण्डर नस्ति/निविदाऐं तथा M.B. को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से बार–2 अनुरोध करने के अतिरिक्त अधियाचना संख्या 1 दिनॉक 6.7.11 द्वारा भी आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार अंकेक्षण के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियो के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में उक्त अनियमितता को रोका जा सके।

12.2 नगर परिषद मे कनिष्ठ अभियन्ता की नियमित तैनाती के वावजूद उपरोक्त कार्य को न तो M.B. में दर्ज किया गया और नही बिल को निगम अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे इन कार्यो में खपत दर्शाई गई टाईलों, सीमेन्ट व रेत इत्यादि में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त कार्य कनिष्ठ अभियन्ता से न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

12.3 प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग डम्बल टाईलो वार्ड नं0 1 व प्रोवाईडिंग एंड लेईंग डम्बल टाईल इन रिटन चौक दो अलग–2 कार्य है। इन दोनों कार्यो को एक ही ठेकेदार द्वारा एक ही समय पर अलग–2 स्थानो पर करवाया गया परन्तु इन दोनों कार्यो की मद संख्या (Item No. 1 "Laying of 40mm Nomined size stone aggregate dry Laid in down Portion of chowk bed by Labour") की मात्रा 12.80 cum दोनों कार्यो में एक समान दर्शाई गई है जो कि किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। अतः यह कार्य वास्तव मे करवाया ही नहीं गया प्रतीत होता है तथा इसका भुगतान/प्रतीत होता है। अतः प्रकरण की विभागीय जॉच की जाए तथा जांच के परिणामो से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12.4 उपरोक्त तीनों कार्यों में स्टॉक रजिस्टर के अनुसार (45+50+30)=125 बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई है परन्तु उपरोक्त कार्यों की मात्राओं को M.B. में दर्ज नही किया गया जिसके अभाव में सीमेन्ट की खपत की जॉच नहीं की जा सकी। अतः निष्पादित कार्य मदों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका में दर्ज करवाया जाए तदानुसार जारी किए गए सीमेन्ट के उपयोग का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर पूर्ण रोक लगाई जा सकें।

13 निर्माण सामग्री के क्रय में पाई गई अनियमितताऐं:–

निम्न विवरणानुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु श्रीमति सुविन्दर कौंर व श्री यशवन्त सिंह कान्ट्रेक्टर को ₹205320/–का भुगतान किया गया।

ठेकेदार का नाम	वा0सं0	माह	क्रय का विवरण	मात्रा	दर	राशि
श्रीमति सुविन्दर कौंर	50/08	1/08	रेता	55.25 m^3	350 Per cum	19337
			ईंटे	6000	2400 प्रति 1000	14400
			बजरी	60.32 Per cum	530 प्रति cum	31970
मै0 यशवन्त सिंह चौकी वाला	28/08	4/08	स्टोन डस्ट	1350 Feet	6 प्रति फुट	8100
			रिवर सैण्ड	1500 Feet	9 प्रति फुट	13500
	29/08	4/08	स्टोन डस्ट	2000 Feet	6 प्रति फुट	12000
			रीवर सैड	2000 Feet	9 प्रति फुट	1800
			गटका	500 Feet	8 प्रति फुट	4000
					योग	105107
श्रीमति सुविन्दर कौंर	50/08	4/08	रेता	80.75 m^3	350 प्रति cum	28262
			20mmबजरी	67.75 m^3	530 प्रति cum	35907
			40mmबजरी	4.25 m^3	475 प्रति cum	2019
			कट स्टोन	1100	4.25 प्रति स्टोन	5225 (अधिक भुगतान ₹550)
			ईंटे	12000	3400 प्रति 1000	28800
					योग	100213

उपरोक्त निर्माण सामग्री के बिलों के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताए पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

क्रम संख्या 1 पर दर्शाया गया बिल सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

13.1 उपरोक्त क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिल को नं0 M.B. में दर्ज किया गया और न ही जिन कार्यों के विरूद्ध उक्त निर्माण सामग्री का प्रयोग/खपत दर्शाई गई, उन कार्यो को M.B. में दर्ज किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्यों को M.B. में दर्ज न किया जाने से इन कार्यों में कितनी निर्माण सामग्री प्रयोग की जानी थी का आंकलन अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका। अतः उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासो के दौरान क्रय की गई समस्त निर्माण सामग्री जिन–2 निर्माण कार्यो मे प्रयोग की गई उन्हें M.B. मे दर्ज करवाया जाये। तदोपरान्त उन कार्यो के विरूद्ध दर्शाई गई खपत की जांच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाऐ। जांच के परिणामों से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13.2 क्रम संख्या 1 पर दर्शाए गये वाउचर संख्या 50/08, माह 1/08 के दौरान श्रीमति सुरेन्द्र कौर को उनके बिल संख्या शून्य, दिनॉक 20.8.07 के द्वारा 4.25 m^3 रेत के लिए ₹350/– Per cum की दर से ₹1487.50/–का भुगतान किया गया। क्रय किये गये रेत को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि रेत वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया केवल बिल ही प्राप्त किया गया है। अतः इस बारे तथ्यो सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए। ₹1487.50/–की राशि की वसूली शीघ्र सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.3 क्रम संख्या 4 (वाऊचर संख्या 50/08) द्वारा 1100 कट स्टोन के लिए ₹5.25/–प्रति स्टोन की दर से ₹4675/–का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि भुगतान ₹5225/– अतः ₹550/–का अधिक का किया गया। अतः उक्त ₹550/–की वसूली के उपरान्त रोकड़ वही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 टाईलों की खरीद पर ₹266056/–के भुगतान बारेः–

निम्न विवरणानुसार मै0 गोविन्द साहिब इन्टरप्राईजिज चौकीवाला नालागढ़ रोपड़ रोड़ को डम्बल टाईलों की खरीद हेतु ₹266056/–का भुगतान किया गया।

वा0स0	माह	क्रय का विवरण	मात्रा	दर	राशि
28/08	4/08	डम्बल टाईलों की खरीद (80 mm)	13075	6 प्रति टाईल	78450
				12.5 VAT	9806
29/08	4/08	–यथोपरि–	19800	8 प्रति टाईल	158000
				VAT	19800
				योग	266056

उपरोक्त टाईलों के बिल को न तो कनिष्ठ अभियन्ता से सत्यापित करवाया गया था और न ही इन टाईलों के बिल को M.B. में दर्ज किया गया था जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों को कनिष्ठ/निगम अभियन्ता से सत्यापित करवाया जाना अनिवार्य है। अतः इन बिलों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित न करवाने व मापन पुस्तिका में दर्ज न करने के कारणो का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14.1 निविदाऐ डाक व समाचार पत्र के माध्यम से आमन्त्रित न कर के "Notice Board" पर लगाई गई सूचना के द्वारा मंगवाई गई जो कि नियमों के विपरीत है। जिसके कारण न्यूनतम दरों का लाभ नहीं उठाया गया। अतः परिषद निविदाओं को उचित माध्यम से आमन्त्रित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करे। भविष्य में नियमानुसार निविदाओं को आमन्त्रित करना सुनिश्चित किया जाए।

15 सीमेन्ट के क्रय बारे:—

वाऊचर संख्या 68/07, माह 4/08 द्वारा एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 नालागढ़ को चैक सख्या 03234 दिनाक 21.4.08 राशि ₹96800/—का भुगतान 400 बैग सीमेन्ट की खरीद हेतु किया गया परन्तु इस भुगतान की रसीद अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। उक्त सीमेन्ट कब और कितने बैग प्राप्त हुए इससे सम्बन्धित अभिलेख उक्त वाउचर के साथ संलग्न नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15.1 उपरोक्त बिल के साथ संलग्न की गई दिनांक 25.4.08 की टिप्पणी Noting Sheet में यह दर्शाया गया था कि मार्च 2008 में 400 बैग सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु ₹230/—प्रति बैग की दर से हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई को0 को चैक द्वारा ₹92000/—का भुगतान किया गया था परन्तु सीमेन्ट की दर में वृद्धि ₹230 से ₹242 प्रति बैग होने के कारण 380 बैग सीमेन्ट प्राप्त हुए उपरोक्त Noting Sheet के साथ संलग्न की गई एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 नालागढ के Vat-XVIII Tax invoice के क्रम सख्या 0288591 दिनांक 14.3.08 द्वारा 380 बैग सीमेन्ट दर ₹242/—प्रति बैग से ₹91960/—दर्शाया गया था तथा इस बिल में दर्शाए गए 380 बैग सीमेन्ट को स्टॉक रजिस्टर में निम्न विवरणानुसार दर्ज किया गया था।

एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 से दिनांक 12.2.08 को उधार लिए गये (–)100 बैग सीमेन्ट बैग लौटाए गये

एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 का दिनांक 7.3.08 बिल संख्या 0113027 200 बैग (जी0आर0स0 000330762 दिनांक 6.3.08) द्वारा प्राप्त सीमेन्ट

514 —

उक्त एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 के VAT-XVIII TAX invoice की 180 बैग
क्रम संख्या 0288591 दिनांक 14.3.08 द्वारा प्राप्त सीमेन्ट

कुल प्राप्त सीमेन्ट 280 बैग

उपरोक्त बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

15.1.1 क्रम संख्या एक पर एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 से उधार लिए गए 100 बैग सीमेन्ट किस अधिकारी की स्वीकृति से लिए गये थे उक्त आदेश अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

15.1.2 एच0पी0 सिविल सप्लाई को0 को सीमेन्ट के 100 बैग उधार देने हेतु नगर परिषद द्वारा लिखा गया मॉग पत्र तथा सीमेन्ट का बिल व 100 बैग सीमेन्ट की प्राप्ति की रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उपरोक्त 100 बैग सीमेन्ट वास्तव में उधार भी लिए गये थे या नही या मात्र स्टॉक प्रविष्टि ही स्टॉक रजिस्टर में की गई थी की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः परिषद अभिलेख सहित उक्त तथ्यों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाने के साथ भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न हो सुनिश्चित करें।

15.2 क्रम सख्या 2 बिल सख्या 0113027 दिनांक 7.3.08 द्वारा 200 बैग सीमेन्ट की खरीद दर्शाई गई परन्तु इन 200 बैग सीमेन्ट सहित कुल (200+180)=380 बैग सीमेन्ट की VAT-XVIII TAX invoice की क्रम संख्या 0288591 दिनांक 14.3.08 द्वारा जारी की गई इस प्रकार जब उपरोक्त 200 बैग सीमेन्ट का बिल दिनांक 7.3.08 को जारी किया गया तो VAT-XVII TAX invoice दिनांक 14.3.08 को अतः 7 दिन पश्चात जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

15.3 उपरोक्त 200 सीमेन्ट बैग जी0आर0 सख्या 000033072 दिनांक 6.3.08 तथा ट्रक संख्या एच0पी0–24–5235 द्वारा प्राप्त किये दर्शाये गये थे जबकि उपरोक्त VAT-XVIII TAX invoice संख्या 0288591 दिनांक 14.3.08 द्वारा स्टॉक रजिस्टर में प्राप्त किये गये 180 सीमेन्ट के बैग किस जी0आर0 संख्या/दिनांक व ट्रक नम्बर द्वारा प्राप्त किये गये का अभिलेख अंकेक्षण में नहीं किया गया, अंकेक्षण मे उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15.4 उपरोक्त VAT-XVIII invoice दिनाक 14.3.08 द्वारा 380 बैग सीमेन्ट की प्राप्ति व जी0पी0ए0 संख्या 0113027 दिनाक 7.3.08 द्वारा 200 बैग सीमेन्ट अतः कुल 580 बैग सीमेन्ट की प्राप्ति दर्शाई गई जबकि स्टॉक रजिस्टर में केवल 380 बैग सीमेन्ट ही दर्ज किये गये इस प्रकार (580–380) 200 बैग सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

16 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारे:–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर संख्या 43 में अनेक कटिंग/ओवर राईटिंग की गई थी, जिनमें कुछ का विवरण निम्न प्रकार से है:–

16.1 स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 2.4.07 को जारी किये गये सीमेन्ट के 20 बैग को ओवर राईटिंग द्वारा 10 बैग किया गया।

16.2 दिनांक 7.4.07 को जारी किये गये 22 बैग को ओवर राईटिंग द्वारा 25 बैग किया गया।

16.3 स्टॉक रजिस्टर में 25.4.07, 27.4.07, 30.4.07, 23.6.07, 20.8.07 व 13.9.07 को भी ओवर राईटिंग द्वारा दर्ज प्रविष्टियों को बदला गया था।

16.4 सीमेन्ट का नया स्टॉक रजिस्टर संख्या 55 दिनांक 18.3.08 से प्रारम्भ किया गया परन्तु प्रारम्भिक तिथि 18.3.08 को ओवर राईटिंग द्वारा बदला गया तथा गत सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर 43 के पृष्ठ 92 से उठाई गई सीमेन्ट की शेष मात्रा 205 को भी ओवर राईटिंग द्वारा लिखा गया है।

16.5 दिनांक 1.5.08 को 20 बैग सीमेन्ट को जारी किया दर्शाया गया था परन्तु बाद में 20 बैग ओवर राईटिंग द्वारा 40 बैग सीमेन्ट किया गया प्रतीत होता है।

16.6 दिनांक 13.5.08 को सीमेन्ट रजिस्टर के स्तम्भ 9 में प्राप्त कर्ता का नाम काट कर ईरशाद लिखा गया।

16.7 दिनाक 10.6.08 को सीमेन्ट रजिस्टर के स्तम्भ (Column) 6 में जारी किये गये 40 बैग सीमेन्ट को ओवर राईटिंग द्वारा 90 बैग किया गया।

16.8 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ रजिस्टर से अलग–2 हो चुके थे। इस रजिस्टर का रख–रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया गया। अतः सीमेन्ट जैसी महत्वपूर्ण मद के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव सही ढ़ंग से न किया जाना सम्बन्धित कर्मचारी की लापरवाही दर्शाता है। अतः इस रजिस्टर का रख–रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16.9 सीमन्ट स्टॉक रजिस्टर अवधि 4/07 से 3/2010 तक केवल दिनांक 19.6.08 को ही एक बार कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया था जबकि इस रजिस्टर को कार्यकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए था।

16.10 नियमानुसार सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट को जारी करते समय कार्य के नाम का उल्लेख करना अपेक्षित था जो कि परिषद द्वारा सीमेन्ट रजिस्टर मे कार्य के नाम का उल्लेख नही किया गया था जिसके अभाव में सीमेन्ट की खपत का सत्यापन सम्बन्धित मापन पुस्तिका से नहीं किया जा सका। अतः परिषद सीमेन्ट रजिस्टर में सीमेन्ट को जारी करते समय कार्य का नाम जिसके लिए सीमेन्ट जारी किया गया है का उल्लेख करना सुनिश्चित करे ताकि सीमेन्ट की खपत की जांच की जा सके।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्टॉक रजिस्टर मे अनेक कटिंग/ओवर राईटिंग द्वारा दर्ज प्रविष्टियों को बदला गया है तथा मस्ट्रोल द्वारा किये गये कार्य मे प्रयोग किये गये सीमेन्ट की खपत को M.B. में नहीं दर्शाया गया है जिससे स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई

सीमेन्ट की खपत में अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि अवधि 4/07 से 3/10 तक क्रय व प्रयोग (खपत) किये गये सीमेन्ट की विस्तृत जॉच विभागीय स्तर पर की जाए तथा वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **जी0आई0 पाईपों की खरीद पर ₹16650/–के व्यय बारेः–**

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के नगर परिषद क्षेत्र में दिनांक 17.3.08 को जन सभा को सम्बोधित करने के कारण तथा समय–2 पर अन्य गणमान्य व्यक्तियो के नालागढ़ आगमन पर अस्थाई गेट को बार–2 लगाने के व्यय को मद्देनजर रखते हुए बार–2 अस्थाई गेट न लगा कर सदैव के लिए एक स्थाई स्वागत गेट लगाने लिए निम्नविवरणानुसार मै0 गुरु नानक हार्डवेयर एंड सैनीटरी स्टोर नालागढ़ को उनके बिल संख्या 291 दिनांक 15.3.08 (वाऊचर सख्या 67 दिनाक 21.4.08) द्वारा क्रय की गई जी0आई0 पाईपो का भुगतान किया गया।

मात्रा	क्रय का विवरण	दर	भुगतान राशि
10	जी0आई0 पाईप 1"	980 प्रति पाईप	9800
10	जी0आई0 पाईप ½"	500 प्रति पाईप	5000
		योग	14800
		VAT	1850
			16650

उपरोक्त व्यय के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताऐं पाई गई।

17.1 क्रय से पूर्व आमन्त्रित निविदाऐं हस्तगत रूप से मात्र औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्राप्त की गई थी क्योकि निविदाओं पर "Collected by us" लिखा गया था और इस पर सम्बधित कर्मचारी श्री बलजीत सिंह वर्कस सुपर वाईजर के ही हस्ताक्षर थे।

17.2 उपरोक्त पाईपे किस ब्रांड की थी, का कोई विवरण निविदाओं व बिल मे नहीं दिया गया जिसके कारण तुलनात्मक सूची में दर्शाई गई न्यूनतम दरों की पुष्टि अभिलेख से नहीं की जा सकी। इन पाईपों का भुगतान अत्याधिक दरों से किया गया प्रतीत होता है भुगतान Branded Co. की superior quality की पाईपों के लिए किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निविदाओं और बिल में पाईपों का ब्रांड नही लिखा गया था जिस कारण बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया

17.3 इन पाईपों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

17.4 स्थाई गेट बनाने के लिए क्रय की गई उक्त पाईपों से कौन सा गेट किस स्थान पर लगाया गया इस बारे अभिलेख में कोई विवरण नही दिया गया तथा इसमें अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः कार्यकारी अधिकारी जॉच करके सत्यापित करें कि उक्त गेट नगर परिषद के किस स्थान पर स्थापित किया गया है तथा इसे स्थाई रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 **वाउचर सख्या 26/08 माह 1/2008 राशि ₹56100/—**

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री सुरजीत सिंह, ठेकेदार को नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों के किनारे पड़ी मिट्टि जे0सी0बी0 से उठाने के लिए 11.4.07 से 17.4.07 व रैहन बसेरा भवन के सामने की मिट्टी व पत्थर उठाने के लिए दिनांक 9.9.07 से 16.9.07 तक क्रमशः 42 व 60 घन्टों का ₹550/—प्रति घन्टें की दर से ₹56100/—का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताऐं पाई गईः—'

उपरोक्त सड़कों व रैहन बसेरा के सामने से कुल कितनी घन मीटर मिट्टी उठाई गई, इसका अनुमान तैयार नहीं किया गया था और न ही इस कार्य को M.B. में दर्ज किया गया तथा इस कार्य की कोई गणना नही की गई थी।

18.1 नगर परिषद में कनिष्ठ अभियन्ता की नियमित तैनाती के बावजूद इस मिट्टी उठाने के कार्य को जिस—2 तिथियों को जितने घन्टें किया गया था, को कनिष्ठ अभियन्ता से सत्यापित न करवा कर वर्क सुपरवाइजर जिस के द्वारा उक्त कार्य करवाया गया, से ही सत्यापित करवा कर पारित कर दिया गया जो कि नियमों के विपरीत हैं। अतः इस बिल को कनिष्ठ अभियन्ता से सत्यापित न करवाने व कार्य का अनुमान तैयार न करने व इसे M.B. में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

18.2 रैहन बसेरा भवन के सामने मिट्टी उठाने के ठेकेदार को दिनांक 20.4.07 के ₹23100/—की राशि के बिल का माह 1/2008 में 9 माह पश्चात भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18.3 उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिए नगर परिषद के प्रस्ताव को अंकेक्षण मे प्रस्तुत नही किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 **वाऊचर संख्या 34/08 माह 1/08 राशि ₹9625/—**

रैहन बसेरा भवन में P.V.C बिनाइल फलोरिंग का कार्य करवाने बारेः—

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मै0 (मिनी) अग्रवाल फर्निशरज एस0सी0ओ 168 सेक्टर 34—डी चण्डीगढ को उनके बिल संख्या 246 दिनांक 10.10.07 द्वारा रैहन बसेरा भवन मे 625 Sq.P.V.C बिनाईल फ्लोरिंग लगाने के लिए 625x@14 Per Sqfeet= 8750+10% VAT=8750+875=₹9625/— का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में उक्त बिनाइल फ्लोरिंग किन—2 कमरों में कितने फुट लगाई इसका कोई विवरण अभिलेख में नही दिया गया था और न ही इसे M.B में दर्ज किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20 **तारकोल के ट्रक के भाड़े के लिए किये गये ₹6200/—के भुगतान बारेः—**

वाउचर संख्या 36/08 माह 1/08 द्वारा 120 तारकोल के ड्रम परवाणू से नालागढ तक लाने के लिए परवाणू यूनियन को 2 ट्रको के किराये के रूप मे (3100+3100)

S18—

₹6200/—का भुगतान किया गया परन्तु यूनियन द्वारा जारी की गई जी0आर0 अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई जिस के अभाव में किराय की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित जी0आर0 आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 इन्दिरा अनाज मण्डी नालागढ़ के समीप वाईन शॉप के निर्माण कार्य में ₹897/—का अधिक भुगतानः—

(वाउचर संख्या 29/10 माह 1/2010)

उपरोक्त कार्य की M.B. संख्या 1/60 के पृष्ठ 3 पर मद संख्या 4 (Providing from work with steel plates (1) in foundation footing basis of column etc. and mass Conc.) में किये गये कार्य की मात्रा कायोग 120.90 m^3 के स्थान पर 126.90 m^3 लिया गया जिस कारण (6.90 m^3x130)=₹897/—का अधिक भुगतान ठेकेदार श्री गुरदीप सिंह को किया गया। अतः उक्त राशि की वसूली ठेकेदार से शीध्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

22 वाऊचर संख्या 31, माह 1/2010 राशि ₹178207/—के भुगतान बारेः—

उपरोक्त वाऊचर द्वारा "Repair and maintence of road from Ram Shehar road to M.C. park in ward No. 6& 7" के कार्य के लिए श्री गुरदीप सिंह ठेकेदार को (417978—239771)=₹178207/—का भुगतान किया गया। इस कार्य के लिए 16 तारकोल के ड्रम दर ₹5000/—प्रति ड्रम से ठेकेदार से 80,000 की वसूली की गई। परन्तु तारकोल का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अपेक्षित स्टॉक रजिस्टर अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 सीमेन्ट की खरीद पर ₹193070/—के व्यय बारेः—

निम्न वाऊचरों द्वारा प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई को0 शिमला को सीमेन्ट की खरीद के लिए भुगतान किया गया था।

वा0सं0	दिनांक	राशि
22	1/2010	181430
23	1/2010	11640
		193070

उपरोक्त सीमेन्ट के लिए माह 1/2010 की नस्ति वाऊचर के साथ न संलग्न करके अलग नस्ति में रखे गये थे और बिलों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था अतः इन बिलो को सत्यापित न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाए भविष्य

में सीमेन्ट के अग्रिमों के समायोजन के समय समस्त बिलों को सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

24 लॉग बुकः–

डम्पर प्लेसर एच0पी0 12–9792

डम्पर प्लेसर की अवधि 4/07 से 3/10 तक की लॉग बुक के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताऐं पाई गई जिसका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लॉग बुक में अवधि 1.4.07 से 31.3.10 तक दर्शाई गई ₹3.03 लाख की डीजल की खपत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.07 से 31.3.10 तक लॉग बुक में 59925 K.M. की यात्रा/स्पीडो मीटर की रीडिंग के आधार पर दर्शाई गई इसकी 6.95 K.M. प्रति लीटर की औसत से ईंधन की खपत 8622 लिटर बनती है। जिसकी राशि मार्च 2010 की डीजल की दर ₹35.10 प्रति लिटर की दर से ₹302642/–बनती है परन्तु उक्त अवधि की लाग बुक को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार लॉग बुक को नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। अतः लॉग बुक के सत्यापन के बिना राशि ₹302642/–के डीजल के व्यय को अंकेक्षण में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः परिषद लॉग बुक को सत्यापित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

24.1 लॉग बुक में प्रतिदिन के डीजल की खपत व शेष डीजल न दर्शाया जानाः–

डम्पर प्लेसर का उपयोग विभिन्न वार्डो से कूड़ा उठा कर डम्पिंग स्थान तक ले जाने के लिए किया गया परन्तु लॉग बुक में विभिन्न वार्डो से डम्पिग साईट तक की प्रति चक्र की दूरी नहीं दर्शाई गई थी और न ही लॉग बुक में प्रतिदिन की डीजल की खपत दर्शाई गई और न ही शेष डीजल निकाला गया। अतः लॉग बुक की विभागीय जॉच करवाकर प्रति चक्कर कुल खपत व प्रयुक्त डीजल व शेष डीजल की गणना करना सुनिश्चित किया जाए।

24.2 वाहनों की तेल खपत निश्चित न किया जानाः–

डम्पर प्लेसर की लॉग बुक मे औसत तेल खपत प्रत्येक माह भिन्न–2 दर्शाई गई जिसके कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः–

माह	औसत तेल खपत
4/07	6.32
6/07	7.94
7/07	8.84
8/07	6.18
12/07	8.77

1/08	6.66
7/08	7.9
10/08	8.8
12/08	6.1
5/09	9.10
6/09	6.51
3/10	6.52

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डम्पर प्लेसर की औसत तेल माह 5/09 में 9.10 K.M. प्रति लीटर दर्शाई गई थी तो अगले माह 6/09 में 6.51 K.M. प्रति लीटर दर्शाई गई जबकि प्रत्येक माह एक ही कार्य विभिन्न वार्ड से डम्पींग साईट तक कूड़ा फैंका गया। इस प्रकार एक ही कार्य एवं एक सी दूरी के लिए लॉग बुक में अलग–2 तेल खपत दर्शाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी जॉच की जाए। वास्तविक खपत से कम दर्शाई गई तेल खपत की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

24.2.1 नियमानुसार वाहन की औसत तेल खपत प्रत्येक वर्ष निश्चित की जानी अपेक्षित है। चालक को एक वर्ष या अगले टेस्ट चैंक तक जो भी पहले हो, तक इस औसत का बनाये रखा जाना चाहिए। अगर निश्चित औसत से खपत कम पाई जाती है तो इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी थी या इसको लॉग बुक में दर्ज किया जाना था। अतः नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

24.3 **लॉग बुक में स्पीडों मीटर द्वारा दर्शाई गई रीडिंग में कटिंग/ओवर राईटिंग किया जानाः–**

लॉग बुक के पृष्ठ 64 से 71 तक स्पीडो मीटर द्वारा बदला गया था। दिनांक 30.3.09 से 2.5.09 तक की मीटर रीडिंग को कटिंग/ओवर राईटिंग द्वारा लिखा गया था जबकि नियमानुसार लॉग बुक स्पीडो मीटर की रीडिंग के अनुसार ही भरी जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार लगातार 2 माह की लॉग बुक में मीटर रीडिंग को कटिंग द्वारा बदला जाना सन्देहस्पद है। अतः इस प्रकरण की जॉच की जाए तथा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करें।

24.4 ट्रैक्टर (संख्या एच0पी0ए0–7792)

उपरोक्त ट्रैक्टर की लॉग बुक के कालम 4 व 5 जिसमें किस स्थान से किस स्थान की यात्रा की गई को दर्शाया जाना अपेक्षित है नहीं भरा गया था जिसके अभाव मे लॉग बुक मे दर्शाई गई यात्राओं की जॉच नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में लॉग बुक के कालम 4 व 5 भरे जाने सुनिश्चित किये जाए तथा अनुपालना से इस विभाग से अवगत करें।

24.4.1 वाउचर संख्या 49/08, माह 1/08 द्वारा मै0 सुरेन्द्रा ट्रान्सपोर्ट एंड इंजीनियरिंग को0 नालागढ़ को डीजल के भुगतान के लिए ₹15677/–का भुगतान किया गया। उपरोक्त वाउचर में संलग्न इन्डेंट संख्या 2866 दिनांक 27.12.07 द्वारा 30 लिटर डीजल की खरीद ट्रैक्टर संख्या एच0पी0ए0–7792 के लिए की गई थी। इसके लिए ₹31.09/–प्रति लीटर की दर से ₹949.20 का भुगतान किया गया परन्तु डीजल की मात्रा को लॉग बुक मे दर्ज नहीं किया गया। डीजल की मात्रा को लॉग बुक में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹949.20/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

24.4.2 वाऊचर संख्या 73/08, माह 4/08 द्वारा मै0 सुरेन्द्र ट्रान्स्पोर्ट एंड इन्जीनियरिंग क0 नालागढ़ को उनके बिल संख्या 21659, दिनांक 31.3.08 द्वारा 210 लीटर डीजल की खरीद हेतु ₹8843/–का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई:–

उपरोक्त बिल मे चालान संख्या 4284 द्वारा 30 लीटर डीजल की खरीद दिनांक 29.3.08 को ट्रैक्टर संख्या एच0पी0ए0–7792 के लिए दर्शाई गई थी परन्तु उक्त ट्रैक्टर की लॉग बुक मे 30 लीटर डीजल की मात्रा को दर्ज नहीं किया गया, इस प्रकार उक्त विक्रेता को अनाधिकृत रूप से (30.00x32.83)=985/–का भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित विक्रेता/कर्मचारी से शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

24.4.2.1 उपरोक्त माह 3/08 मे क्रय की गई (270–30)=240 लीटर डीजल को लॉग बुक में माह 3/08 मे दर्ज न करके माह 4/08 में दर्ज किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

24.2.2 माह 1/08 व 2/08 की लॉग बुक में जिस इन्डेट नम्बर द्वारा लॉग बुक में डीजल दर्ज किया गया था, उसकी क्रम संख्या जो कि लॉग बुक मे दर्ज की गई थी, मे अनेक कटिंग/ओवर राईटिंग की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

24.5 ट्रैक्टर की गुरम्मत पर किये गये ₹5950/– के व्यय बारे:–

निम्न विवरणानुसार ट्रैक्टर के पुराने पुर्जे बदले गये परन्तु इन बदले गये पुर्जों को पुराने पुर्जों के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

क्र0सं0	वाहन	वा0सं0	दिनांक	जिसे भुगतान किराया गया	पुराने बदले गये पुर्जे जिन्हें पुराने स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया	राशि
1	एच0पी0ए0–7792	46/08	1/08	मै0. चन्देल इंन्टर प्राईजिज, नालागढ़	water pump	840
					clutch finger	250
					clutch Bearing	350
					wheel Plate	95
					योग	1535
2	एच0पी0ए0–7792	65/08	4/08	मै0 यमुना सिडीकेट लि0–रोपड़ (पंजाब)	Piston Set	4300
					Ring Set	1650

24.5.1 मुरम्मत कार्य करवाने से पूर्व नगर परिषद की पूर्व अनुमति नहीं ली गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

24.6 **ट्रैक्टर ट्राली पर किये गये ₹23448/–के व्यय बारेः–**

वाऊचर संख्या 44/08, माह 1/08 द्वारा हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीज क0 को उनके बिल संख्या 064068 दिनांक 7.1.08 द्वारा ₹23448/–का भुगतान ट्रैक्टर ट्राली की मुरम्मत हेतु किया गया। बिल में ट्राली के निम्न कार्य करवाये गये।

1	Flooring of Trolly with 5mm New sheet	1200
2	New Rod fitting	900
3	Tool Box repair with sheet	800
4	New pressure pipe trolly jack	1100
5	New Trolly stand	800
6	Trolley sheet of side fitting new above floor level	2000
7	Bearing Big	300

ट्राली से प्राप्त पुराने पार्टस को पुराने पुर्जो के स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज नही किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इन बदले गये पार्टस को पुराने पुर्जो के स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

25 **चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति बारेः–**

श्री सालिग राम बेलदार को चिकित्सक के परामर्श के बिना ही ₹2705/–की दवाईयों का अनाधिकृत भुगतान किया–

श्री सालीग राम, बेलदार को वाऊचर संख्या 60, माह 4/08 द्वारा निम्न दवाईयों का भुगतान किया गया इन दवाईयों को चिकित्सक द्वारा prescribe नहीं किया गया था।

दवाई का नाम	राशि	जिससे क्रय की गई	बिल संख्या	दिनांक
Nee-tralpees	280	मै0 प्रेम मैडिकल स्टोर नालागढ़	405	23.10.07
Cyzer fortee	55	–यथोपरि–	345	18.10.07
-do-	55	–यथोपरि–	268	15.10.07
Micropare	15	–यथोपरि–	265	15.10.07
Neetra powder	280	–यथोपरि–	203	10.10.07
Beta dine	113	–यथोपरि–	289	22.10.07
Beta dine	113	–यथोपरि–	209	12.10.07
Neetra powder	280	–यथोपरि–	303	16.10.07
Dyrea	30.00	–यथोपरि–	211	11.10.07
Metrogel	76.19	मै0 सतीश मैडिकोस नालागढ़	265	10.10.07
Protogen	38.80	मै0 जैन मैडीकोस नालागढ़	4592	8.10.07
Dizent	89.00	–यथोपरि–		
Tapdase	58.00	–यथोपरि–	4857	18.10.07
Dyrect	57.95	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई क0 नालागढ़		
Gentamycine	21.00	–यथोपरि–	3863	14.10.07
vinfloan	40.00	–यथोपरि–		
Gentamycine	14.00	–यथोपरि–		
Dyrect	25.00	–यथोपरि–	3825	12.10.07
Vinfloan	40.00	–यथोपरि–		
----		–यथोपरि–	1024	10.10.07
Dyrect	28.00	–यथोपरि–		
Lysen-forte	28.50	–यथोपरि–	3979	21.10.07
T.T	8.00			
Helar	62.00	–यथोपरि–	5751	2.9.07
Roxid	69.82			
Vanfloax	11.00			
gentamycine	14.00	हिमाचल प्रदेश		13.10.07

		सिविल सप्लाई नालागढ़	3867	
Protice	38.00			
Betadine	48.31	—यथोपरि—	2734	6.10.07
N.N.S	34.00			
Betadine	46.00			
Strous	17.00	—यथोपरि—	5768	3.10.07
Medisprit	27.00			
Safe Care	342.00			
Dig-sect	59.00			
Protosec	39.00	—यथोपरि—	5785	4.10.07
Van flox	52.50			
Bitadine	40.00			
gentamycine	14.00	—यथोपरि—	5797	5.10.07
-	—	—	—	—
-	—	—	—	—
Betadine	18.69		1014	9.10.07
Medisprint	27.00	—यथोपरि—	1014	9.10.07
योग	2704.76			

उपरोक्त दवाईयो के बिल के भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई। बिल में दर्शाई गई ₹2705/—की औषधियों का भुगतान बिना चिकित्सक के परामर्श के किया जाना नियमो के विपरीत है तथा इससे स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा चिकित्सा बिलों का भुगतान बिना जॉच के ही किया जाता है। अतः राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

25.1 उपरोक्त बिल के साथ सलग्न की गई नालागढ़ सरकारी चिकित्सालय की Prescription Slip दिनाक 2.10.07 की थी जबकि बिल संख्या 5751 दिनॉक 2.9.07 का राशि ₹150.82/—का संलग्न किया गया है जो कि चिकित्सक द्वारा (Prescribe) परामर्श की तिथि से एक माह पूर्व का है इस प्रकार Prescription से पूर्व दवाईयों के क्रय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

25.2 Prescription Slip दिनाक 2.10.07 की थी व दवाईयॉ चार सप्ताह की लिखी गई है। इस प्रकार इस बिल को 3 माह से पूर्व अर्थात 2.1.08 से पूर्व नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जबकि इसे दिनांक 10.4.08, डायरी संख्या 336 द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कालातीत बिल के बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

525 —

25.2 निम्न कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में टिप्पणी में दर्शाई गई आपत्तियाँ पाई गई जिस का शीघ्र समाधान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

क्र0सं0	माह	कर्मचारी का नाम	क्रय की गई औषधियों का विवरण	राशि	टिप्पणी
/08	5/08	श्री पवन कुमार (माली) पत्नी का बिल	अल्ट्रा साऊंड (Abodomen)	400	मै0 आकाश अल्ट्रा साऊंड एंड डायगनास्टिक सेन्टर को खरीद संख्या 2879, दिनांक 29.3.08 द्वारा ₹400/—का भुगतान किया गया, जबकि इस भुगतान को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस राशि को उक्त दरों से सीमित किया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि को शीघ्र कैश बुक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
		श्री हेम राज शर्मा (सफाई निरीक्षक)	डेक्सो रेज (सिरप) ओसिल	60 52	उक्त ओषधियों का भुगतान देय नहीं है।
		श्री सोहन लाल (सफाई कर्मचारी) (पुत्री आरती का बिल) (पुत्री अल्का)	पल्मूलेक्स टपडैन्स ल्यूनस अमलीय	69.50 83.50 9.00 18.00	औषधियों को दिनांक 5.10.07 तक Prescribe किया गया जबकि बिल कार्यालय में डायरी संख्या 316 दिनांक 10.4.08 को तीन माह पश्चात प्रेषित किया गया। अतः कालातीत बिल को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

26 **स्थापना व्ययः—**

संशोधित वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹0.23 लाख की राशि का अधिक भुगतान

निम्न कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश प्रदेश सिविल सर्विसिज (संशोधित वेतनमान) 2009 के अन्तर्गत देय वेतन से अधिक वेतन का निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹22765/—का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

526—

26.1 श्री प्रेम लाल चालक की नियुक्ति बारे:–

सेवा पुस्तिका में की गई नियुक्ति की प्रविष्टि के अनुसार इन्हें निदेशालय के पत्र संख्या यू0डी0–एच(वी)(1)–14/99–9483, दिनांक 5.9.08 द्वारा नियुक्त किया गया परन्तु उन्हें दिया गया 3330–110–3660–120–4260–140–440 का वेतनमान सरकार के किस आदेश द्वारा दिया गया इसकी प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26.2 अंशकालीन प्लम्बर की नियुक्ति बारे:–'

वाऊचर संख्या 48, माह 3/08 द्वारा श्री सुधाकर पार्ट टाईम प्लम्बर को माह 2/08 व 3/08 के वेतन ₹5000/–का भुगतान किया गया। प्लम्बर को नगर परिषद द्वारा पानी की सप्लाई के रख–रखाव हेतु नियुक्त किया गया जबकि नगर परिषद क्षेत्र में पानी की सप्लाई का रख–रखाव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा प्लम्बर के पद के व सरकार की स्वीकृति के बिना प्लम्बर की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

26.3 नियमित किये गये कर्मचारियों को दिये गये वेतनमान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे:–

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों से नियमित किया गया। इन्हें इनके विरूद्ध दर्शाया गया वेतनमान दिया गया परन्तु यह वेतनमान इन्हें किन आदेशों के अन्तर्गत दिया गया उसकी प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नाम	पद	जिस तिथि से नियमित किा गया	दर्शाया गया वेतनमान
श्री मदन लाल	चालक	1.10.07	3330–4400
श्रीमति रेनू बाला	सफाई कर्मचारी	1.9.07	2620–4140
श्री अच्छर कुमार	सफाई कर्मचारी	1.8.10	4900–10680
श्री कुलवन्त राय	मैसन	1.9.07	3220–5000
श्री राजेन्द्र कुमार (iv)	सफाई कर्मचारी	1.12.08	2620–3660
श्री कुलदीप	चौकीदार	1.8.07	2520–4140
श्री राजेन्द्र कुमार (iii)	सफाई कर्मचारी	1.8.07	2520/4140
श्री मोहन लाल	सफाई कर्मचारी		

528—

527—

26.4 **ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत वेतन वृद्धि देने बारे:—**

निम्न सफाई कर्मचारियों व बेलदारों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से ACPS के तहत 8,16,24 व 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेंतन वृद्धि का लाभ दिया गया परन्तु उक्त वेतन वृद्धि कर्मचारी का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही दी जाती है जबकि अभिलेख मे न तो इन कर्मचारियो का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था और न ही इन वेतन वृद्धियों को देने के कार्यालय आदेश जारी किये गये थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

कर्मचारी का नाम	पद	
श्री गिरधारी	सफाई कर्मचारी	1.9.10 (24 वर्ष 1.3.06 को पूर्ण हुए)
श्रीमति केसर	—यथोपरि—	1.9.10 (24 वर्ष 1.3.06 को पूर्ण हुए)
श्रीमति कमला	—यथोपरि—	1.9.10(—यथोपरि—)
श्री कृष्ण	बेलदार	1.7.07 (8 वर्ष 30.4.07 को पूर्ण हुए)
श्री सोहन लाल	सफाई कर्मचारी	1.7.07 (32 वर्ष 10.3.07 को पूर्ण हुए)
श्री बलबीर	बेलदार	1.7.07 (30.4.07 को 8 वर्ष पूर्ण हुए)
श्री श्याम लाल	बेलदार	1.7.07 (1.1.06 को 8 वर्ष पूर्ण हुए)
श्रीमति बिमला देवी	सफाई कर्मचारी	1.7.07 (10.3.07 को 32 वर्ष पूर्ण होने पर)
श्री सालिग राम	बेलदार	1.7.07 (1.4.07 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर)
श्री हिन्द रवि	सफाई कर्मचारी	1.4.07 (1.4.07 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर)
श्री राजेन्दर	—यथोपरि—	1.4.07 (यथोपरि)
श्री पवन	माली	(—यथोपरि—)
श्री सुरेन्द्र	बेलदार	1.3.07 (1.1.06 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर)
श्री मोहिन्द्र पाल	सफाई कर्मचारी	1.7.07 (32 वर्ष 10.3.07 को पूर्ण होने पर)

26.5 निम्न दैनिक भोगी कर्मचारियों द्वारा उनके नाम के विरूद्ध दर्शाई गई तिथि को नियमितीकरण के उपरान्त कार्य ग्रहण सूचना प्रस्तुत की गई, परन्तु इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कार्य ग्रहण सूचना को न ही सेंवा पंजिकाओं में दर्शाई गई कार्य ग्रहण की तिथि को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया जो कि नियमों के विपरीत है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

क्र0सं0	नाम	पद	नियमितीकरण के उपरान्त कार्य ग्रहण की तिथि
1	श्री राम लाल	बेलदार	1.9.07
2	श्री हुक्म चन्द	बेलदार	1.8.07
3	श्री अमरजीत	सफाई कर्मचारी	1.9.07
4	श्री मुहम्मद साफी	बेलदार	1.8.07

26.6 श्री फूल चन्द सफाई कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि न देने बारे:–

श्री फूल चन्द सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका में निम्न विवरणानुसार वेतन वृद्धियां दर्शाई गई थी:–

वेतनमान	दिनांक	वेतन जो सेवा पंजिका में दर्शाया गया
2520–4140	1.1.2001	4140
	1.1.2002	वेतन वृद्धि नहीं दी गई
	1.1.2003	4260
	1.1.2004	4000
	1.1.2005	वेतन वृद्धि नहीं दी गई
	1.1.2006	4550

सेवा पंजिका में 1.1.02 व 1.1.05 को वेतन वृद्धियां न देने का कोई कारण नहीं दिया गया था जिस बारे सेवा पंजिका में स्पष्ट विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सेवा पंजिका में 1.1.06 से संशोधित वेतनमान निम्न प्रकार से दिया गया था:–

वेतनमान	दिनांक	वेतन निर्धारित
4900–10680	1.1.06	9870
	1.1.07	10170
	1.1.08	10170
	1.1.09	10170

सेवा पंजिका में 1.1.09 के पश्चात वेतन वृद्धि न देने का कोई कारण नही दर्शाया गया था और न ही सेवा पंजिका में 1.7.92 के पश्चात अर्जित/परिणित अवकाश की प्रविष्टियां की गई थी जिस का पूर्ण विवरण सेवा पंजिका में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5-29 —

26.7 श्री दिवान चन्द सुपुत्र श्री दया राम सेवा निवृत सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश के भुगतान बारेः—

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 31.12.07 को सेवा निवृति के उपरान्त वाउचर संख्या 47/08, माह 4/08 द्वारा 102 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ₹25527/—का भुगतान किया गया जबकि उक्त कर्मचारी के छुट्टियों के खाते में दिनांक 31.12.07 को 218 दिनों का अर्जित अवकाश देय था। अतः उक्त कर्मचारी को 218 दिनों के स्थान पर 102 दिनों का अर्जित अवकाश के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी को कम किये गये (218—102)=116 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26.8 पैन्शन ग्रेच्यूटी अंशदान की राशि ₹0.40 लाख की अधिक कटौती करने बारेः—

निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों के वेतनमान पर पैन्शन/ग्रेच्युटी अंशदान की सही कटौती न करने से ₹600/—के कम पैन्शन अंशदान की कटौती व ग्रेच्युटी के ₹40443/—के अंशदान की अधिक कटौती परिषद निधि से की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वेतनमान	12% की दर से जितनी पेन्शन राशि के अंशदान की कटौती परिषद निधि से की जानी थी	जितनी राशि के अंशदान की कटौती की गई	कम	5% की दर से जितनी ग्रेच्युटी की राशि की वसूली परिषद निधि से की जानी थी	जितनी राशि की कटौती की गई	अधिक कटौती	अवधि	कुल माह	अधिक कटौती
7000—10980	1318	718	600 (कम)						
2620—4140				207	258	51	1.4.07 से 30.9.09	30	30X51=1530
यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530

530—

कर्मचारी										
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
सफाई कर्मचारी	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]	यथोपरि				207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]					207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]					207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]					207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]					207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
[illegible]					207	258	51	यथोपरि	30	30X51=1530
								कुल योग		40443

2) **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ₹2.27 लाख के भुगतान बारे:-**

निम्नविवरणानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को नगर परिषद क्षेत्र मे एल०ई०डी० लगाने हेतु ₹226750/-का भुगतान किया गया परन्तु इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया जिसे विद्युत बोर्ड से शीघ्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0	माह	जिसे भुगतान किया गया	प्रयोजन	राशि
32/08	1/08	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड नालागढ़	नगर परिषद क्षेत्र में एल0टी0 लगाने हेतु	226750

28 **₹600/—के अधिक मानदेय के भुगतान बारे:—**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1) 3/96 दिनांक 8.1.2007 द्वारा उप प्रधान का मानदेय ₹1200/—प्रति माह निर्धारित किया गया जबकि निम्नविवरणानुसार ₹1250/—प्रति माह की दर से भुगतान किया गया परिणामस्वरूप ₹600/—का अधिक भुगतान मानदेय के रूप में किया गया जिसे वसूली उपरान्त कैश बुक मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

ना[illegible]	पद	अवधि	मानदेय देय	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
[illegible]न्द किशोर	उप प्रधान	4/07 से 3/08	14400@1200PM	15000@1250 P.M.	600

29 **झाड़ू टोकरा भत्ता का अनियमित भुगतान:—**

निम्न सफाई कर्मचारियों को झाड़ू टोकरा भत्ता दिया गया जबकि इन्हें यह भत्ता देय नहीं था। अतः इस भत्ते की वसूली इन कर्मचारियों से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

नाम	माह	दिया गया भत्ता	देय	टिप्पणी
सोहन लाल	12/07	50	शून्य	उक्त कर्मचारी बस अड्डे पर प्रवेश शुल्क की वसूली व सफाई परवेक्षक के रूप मे तैनात थे।
राजेन्द्र—I	12/07	50	शून्य	

30 **समाचार पत्र में विज्ञापन के भुगतान बारे:—**

वाऊचर संख्या 25/08, माह 1/08 द्वारा हिम न्यूज बद्दी को दिपावली से पूर्व नालागढ़ में जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन स्कीम के बारे में समाचार पत्र मे विज्ञापन देने के लिए ₹5000/—का भुगतान किया गया। उपरोक्त भुगतान की पुष्टि हेतु अधियाचना संख्या 1, दिनांक 26.4.11 द्वारा जिस समाचार पत्र में उक्त विज्ञापन दिया गया, की कतरे (clipping) अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त कतरे प्रस्तुत नही किए गए जिसके अभाव में उक्त विज्ञापन के भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण के

दौरान नहीं की जा सकी। उक्त विज्ञापन की clipping आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

31 **वाऊचर संख्या 33/08 माह 1/08 राशि ₹30,000/-के भुगतान बारेः-**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मै0 जी0एस0 घुमन आर्किटैक्ट को सोलिड वैस्ट ट्रिटमैन्ट प्लांट की ड्राईंग व डिटैल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए ₹30000/-का न्यूनतम निविदा के आधार पर भुगतान किया। उक्त कार्य की ड्राईग एवं डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्न आर्किटैक्ट से निविदाएं प्राप्त की गई थी।

	नाम	राशि
1	श्री नीरज शर्मा	प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 1%
2	श्री जी0एस0 घुमन	₹35000
3	श्री धीमान राम गरिया	₹43000

निविदाओं की तुलनात्मक सूची में प्रोजेक्ट की न अनुमानित लागत दर्शाई गई थी और न ही श्री नीरज शर्मा द्वारा उद्धित की गई प्रोजेक्ट की लागत की 1% दर की राशि कितनी वनती है, इसका कोई विवरण दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट की कुल लागत से सम्बन्धित अभिलेख न तो नस्ति में उपलब्ध था और न ही इसे अंकेक्षण के वार-2 अनुरोध करने पर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव मे उपरोक्त वाऊचर द्वारा न्यूनतम निविदाओं के आधार पर भुगतान की गई ₹30,000/-की राशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निविदाओं को आमन्त्रित करने हेतु लिखा गया पत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिससे प्रतीत होता है कि निविदाऐं मात्र औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु प्राप्त की गई थी जिससे बाजार प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया फलस्वरूप नगर परिषद को हानि हुई जिसका दायित्व निर्धारित किया जाए।

32 **डुप्लीकेट बिल के आधार पर ₹0.11 लाख का भुगतान करने बारेः-**

मै0 जैन हैन्डलूम स्टोर नालागढ़ को निम्न विवरणानुसार पर्दों के लिए व सोफा सेट के लिए कवर तैयार करने के लिए कपड़े की खरीद की गई:-

वा0सं0	माह	क्रय का विवरण	दर	राशि
45/08	1/08	106.50 मीटर पर्दों का कपड़ा	85	9052.50
		19.50 मीटर सोफा सेट के कवर का कपड़ा	100	1950.00
				11002.50

उपरोक्त क्रय में अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए:–

उपरोक्त क्रय डुप्लीकेट बिल पर किया गया परन्तु डुप्लीकेट बिल पर भुगतान करने का कारण अभिलेख में नहीं दिया गया था।

32.1 बिल निर्धारित प्रपत्र पर नहीं लिया गया था।

32.2 निविदाओ पर एक ही कर्मचारी के हस्ताक्षर थे जिससे प्रतीत होता है कि निविदाएं मात्र औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु ली गई थी।

32.3 डुप्लीकेट बिल पर भुगतान करने से पूर्व यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि इस बिल का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

33 सहायक टाऊन प्लानर को मानदेय के भुगतान बारे:–

वाऊचर संख्या 24/07 माह 1/08 द्वारा श्री राजेश कौंडल को निम्न विवरणानुसार मानदेय का भुगतान किया गया परन्तु मानदेय के भुगतान के रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जो कि नियमों के विपरीत है।

वा0सं0	माह	नाम	अवधि	राशि
24/07	1/08	श्री राजेश कौंडल	7/07 से 12/07	3000

अतः मानदेय के लिए एक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाए जिसमें भुगतान की अवधि और राशि का पूर्ण विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि मानदेय के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

34 नगर परिषद की स्वीकृति के बिना भुगतान किया जाना:–

वाऊचर संख्या 50/08, माह 1/08 द्वारा श्रीमति सोविन्द कौर को नगर परिषद क्षेत्र में मलबा उठाने के लिए 15 फेरो के ₹300/–प्रति फेरे की दर से ₹4500/–का भुगतान किया गया परन्तु इस भुगतान से पूर्व न परिषद की स्वीकृति ली गई और न भुगतान की गई दरों के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

534—

35 **वाऊचर संख्या 29/08, माह 1/08 राशि ₹18424/–**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा वार्ड न0 1, 6 व 7 की सफाई हेतु 8 व्यक्तियों को ₹2500–प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से ₹18424/–का भुगतान किया गया परन्तु उक्त दरें नगर परिषद के जिस प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत की गई को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 **वाऊचर संख्या 31/08, माह 1/2008, राशि ₹306/–**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मै0 सिकन्दर लाल राकेश कुमार नालागढ़ को साबुन, मग व टायलेट ब्रश की खरीद हेतु ₹306/–का भुगतान किया गया परन्तु क्रय को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके कैश बुक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

37 **दैनिक भत्ते के अधिक भुगतान बारेः–**

निम्न कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ते से अधिक भत्ते की राशि का भुगतान किया गया जिससे प्रतीत होता है कि दैनिक भत्तों के बिलों का भुगतान परिषद द्वारा बिना उचित जॉच के किया जा रहा है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि शीघ्र वसूली करके कैश बुक में जमा किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	माह	नाम	मूल वेतन	दैनिक भत्ता देय	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
44	4/08	श्री संजीव लिपिक	3220	48	60	12
45	4/08	श्री अमृत लाल लिपिक	3220	48	60	12
					योग	24

38 **वाऊचर संख्या 23/08 माह 4/08 ₹25000/–की धरोहर राशि के भुगतान बारेः–**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा श्री राकेश कुमार को बस स्टैंड नालागढ़ पर चाय की कैन्टीन की धरोहर राशि ₹25000/–जो कि वर्ष 2007–08 के लिए ली गई थी को वापिस किया गया परन्तु न तो भुगतान वाऊचर के साथ मूल रसीद संलग्न की गई और न ही ठेकेदार से

उक्त भुगतान की गई ₹25000/–की राशि की रसीद प्राप्त की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे बताई जाए।

39 **वाउचर संख्या 27/08, माह 4/08, राशि ₹2188/–**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा न्यू ईश फोटोस्टेट नालागढ़ को फोटोस्टेट चार्जिज व अन्य स्टेशनरी मदों के लिए 2188/–का भुगतान किया गया जबकि बिल का योग ₹2178/–बनता था। इस प्रकार ₹10/–का अधिक भुगतान किया गया जिसे वसूली उपरान्त शीघ्र कैश बुक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40 **₹44000/–की डस्टबीन की खरीद बारेः–**

वाऊचर संख्या 49, माह 4/2008 द्वारा 400 डस्ट बिन ₹44000/–में मै0 हॉडा एजैन्सीज चण्डीगढ़ से खरीदे गये दिनांक 22.3.08 की टिप्पणी के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ द्वारा निर्णय लिया गया था कि डस्टबिन के क्रय हेतु परचैज कमैटी चण्डीगढ़ जा कर डस्टबिन का क्रयकरें परन्तु परचैज कमैटी में कौन–2 सदस्य होगें और कौन–2 सदस्य क्रय हेतु गये, कोई विवरण नहीं दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख उपरोक्त बिल सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 **प्रतिभूति राशि का भुगतान रसीद की फोटोस्टेट प्रति के आधार पर किया जानाः–**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सिक्युरटी राशि का भुगतान नगर परिषद द्वारा सिक्योरिटी की मूल रसीद की फोटोस्टेट प्रति के आधार पर ही किया जा रहा है, उदाहरणार्थ वाऊचर संख्या 66/08, दिनांक 22.4.08 द्वारा श्रीमति सोनिया शर्मा को ₹2000/–की सिक्योरिटी राशि के भुगतान के बिल के साथ मूल रसीद की फोटोस्टेट प्रति ही सलग्न की गई थी जबकि सिक्योरिटी के भुगतान के साथ रसीद की मूल प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में सिक्योरिटी का भुगतान मूल रसीद के बिना न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रतिभूति राशि के भुगतान में अनियमितता की सम्भावना न रहे।

42 **निविदाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित न करनाः–**

नगर परिषद द्वारा खरीद हेतु निविदायें/टैन्डर समाचार पत्रो के माध्यम से विज्ञापित नही किये गये थे जबकि इतनी अधिक खरीद हेतु निविदाये/टैन्डर समाचार पत्रो के माध्यम से विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था ताकि अधिक से अधिक बाजार प्रतिस्पर्धा से न्यूनतम दर पर खरीद का लाभ प्राप्त किया जा सके। अतः निविदाये/टैन्डर समाचार पत्रो मे विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट करे। इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:–

माह	वा0सं0	जिसे भुगतान किया गया	क्रय का विवरण	राशि
4/08	35	मै0 ककर एसोसिएटस लुधियाना (पंजाब)	रिक्टा रेहड़ियों की खरीद	114412
4/08	77	–यथोपरि–	डब्बल वील वैरों का क्रय	82912

43 श्री दिनेश कुमार लिपिक को ₹0.10 लाख के अग्रधन की राशि के भुगतान बारे:–

वाऊचर संख्या 39, माह 1/2010 द्वारा श्री दिनेश कुमार लिपिक को हिमाचल प्रदेश प्रिंटिग एंड स्टेशनरी विभाग शिमला से स्टेशनरी के क्रय हेतु ₹10000/–के अग्रधन का भुगतान किया गया था। उक्त अग्रधन के समायोजन के बिल पृथक से प्रस्तुत/पारित न कर के अग्रधन के बिल के साथ ही बिना सत्यापन के निम्न विवरणानुसार संलग्न किये गये थे

जिसे भुगतान किया गया	क्रय का विवरण	राशि
हिमाचल प्रदेश प्रिंटिग एंड स्टेशनरी विभाग शिमला बिल सं0 4601 दिनांक 2.2.10	पैन, कोपियर, पेपर, डाक पैड कार्बन पेपर इत्यादि	6864
–यथापरि– बिल सं0 4599, दिनांक	डायरी व कलेन्डर	405
		7269

उपरोक्त बिलों का भुगतान रसीद संख्या 0016747, दिनांक 2.2.10 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रिंटिग एवं स्टेशनरी विभाग को किया गया। उक्त भुगतान में निम्न आपत्तियॉं पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त समायोजन के बिल क्रय करने के पश्चात अग्रिम बिल के साथ संलग्न कर दिये गये जबकि नियमानुसार अग्रधन के समायोजन के बिल अलग से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

43.1 अग्रधन के साथ संलग्न उक्त बिल किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये और न ही उक्त बिल को समायोजन करने के आदेश नस्ति में उपलब्ध है।

अग्रधन की शेष अनुपयुक्त (10000–7269)=₹2731/–की राशि नगर परिषद निधि मे जमा नही की गई। अतः इस राशि को दण्डात्मक ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

44 विविधः—

कैश बुक में दिनांक 8.9.09 को चैक संख्या 038155 द्वारा ₹10950/–का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु कैश बुक में उक्त भुगतान किस को किस उद्देश्य से किया गया कोई विवरण नहीं दिया गया और न ही वाऊचर संख्या को कैश बुक में दर्शाया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसी प्रकार कैश बुक में दिनांक 13.9.09 को ₹15088/–की आय दर्शाई गई थी परन्तु आय किस रसीद संख्या द्वारा प्राप्त हुई कोई विवरण नही दिया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

44.1 रसीद संख्या 21 से 26 द्वारा दिनांक 28.4.08 को कोपिंग फीस के ₹60/–प्राप्त किये गये थे जबकि कैश बुक में ₹50/–ही जमा किये गये। अतः शेष ₹10/–को परिषद निधि में शीघ्र जमा किया जाए।

44.2 तहबजारी के टिकट संख्या 34/87 द्वारा दिनांक 8.4.08 को सतीश पुत्र कृष्ण से माह 4/08 की ₹310/–की तहतबजारी फीस वसूली गई थी, परन्तु पैन द्वारा टिकट की कार्बन प्रति में ₹310/–को काट कर ₹300/–किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल है इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण लिया जाए तथा ₹10/– की राशि शीघ्र कैश बुक में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

44.3 वर्क्स रजिस्टर का रख–रखाव निर्धारित प्रपत्र पर नहीं किया गया था। मस्ट्रोलों द्वारा करवाये गये कार्य को वर्क्स रजिस्टर मे दर्ज नहीं किया गया था जिसे इस रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

स्थापना पड़ताल रजिस्टर (Establishment check register) का रख–रखाव नहीं किया गया। अतः इस रजिस्टर का रख रखाव निर्धारित प्रपत्र पर किया जाए ताकि वेतन से सम्बन्धित भुगतानों में अनियमितता की सम्भावना न रहे।

45 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**— इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

46 **निष्कर्षः**—लेखाओं में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

9/8

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009

09 AUG 2012

आ/प्र 6375-6376

पृष्ठांकन संख्याः V(10) फिन(एल0ए0डी) –III दिनांक, शिमला–171009 –

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजीकृत 2. सचिव, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9/8

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

09 AUG 2012

आ/प्र

538 —

परिशिष्ट—"ज"

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1	पैरा–6 (ए) (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए) (6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत

(ग) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1	पैरा–8 (2) (बी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (ए)	निर्णीत
6	पैरा–11 (सी)	निर्णीत
7	पैरा–11 (ई)	निर्णीत
8	पैरा–12	निर्णीत
9	पैरा–16 (ए)	निर्णीत
10	पैरा–16 (जी)	निर्णीत
11	पैरा–16 (एच)	निर्णीत
12	पैरा–16 (जे)	निर्णीत
13	पैरा–16 (के)	निर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत
15	पैरा–19 (सी)	निर्णीत
16	पैरा–19 (ई)	निर्णीत
17	पैरा–21 (जी)	अनिर्णीत
18	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत

 11 24

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा–7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा–10	निर्णीत -
9	पैरा–11	निर्णीत -
10	पैरा–13	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16	अनिर्णीत
21	पैरा–17	अनिर्णीत

2 30

54

22	पैरा 20	अनिर्णीत
23	पैरा 23	अनिर्णीत
24.	पैरा 24	अनिर्णीत
25	पैरा 25	अनिर्णीत
26	पैरा-27	अनिर्णीत
27	पैरा-28	अनिर्णीत
28	पैरा-29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा-6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-12 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा-12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा-12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा-12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा-12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा-12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा-14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा-15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा-16	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-7.	अनिर्णीत
3	पैरा-8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा-9	निर्णीत -
5	पैरा-10	अनिर्णीत
6	पैरा-12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा-13	अनिर्णीत
8	पैरा-15 (डी)	अनिर्णीत
9	पैरा-16 (ए)	अनिर्णीत
10	पैरा-16 (बी)	अनिर्णीत
11	पैरा-17	अनिर्णीत

(ञ) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए)	निर्णीत
3	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (2)	निर्णीत
6	पैरा–12 (ए).(i)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (ए).(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (सी)	निर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत

542—

12	पैरा–12 (वी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (वी)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (वी)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा–9	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत

33

18	पैरा–12 (बी)	निर्णीत
19	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
20	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (ए)	निर्णीत
23	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (सी)	निर्णीत
25	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (ए)	निर्णीत
28	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (बी)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (जी)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
38	पैरा–16	अनिर्णीत
39	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
40	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
41	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
42	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ए) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत (₹9078.84 की वसूली शेष)
6	पैरा–6 (बी)	आंशिक निर्णीत (₹9028.00 की वसूली शेष)
7	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा–7	अनिर्णीत

9	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–11	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

अनिर्णीत

545 —

(ण) लघु आपत्तियां:–

4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–18	अनिर्णीत
24	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–20 (ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत
28	लघु आपत्तियां 4, 6 व 7	अनिर्णीत

30

अनिर्णीत

5-46 —

(थ) अकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ग) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (ग) (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ग) (5)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (ड)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (क)	आंशिक निर्णीत
14	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (ड)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (2) (री)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (2) (i)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (2) (iii)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (4) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (4) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (4) (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (4) (iv)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (5) (i)	

32

33.	पैरा–15 (5) (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (6) (i)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (7) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (7) (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (7) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (7) (iv)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (8) (i)	अनिर्णीत
40	पैरा–15 (8) (ii)	अनिर्णीत
41	पैरा–15 (8) (iii)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (iii) (i)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा–16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (iii) (v)	अनिर्णीत
52	पैरा–16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (iii) (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (iii) (ix)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (iii) (x)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
59	पैरा–16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (iii) (xx)	अनिर्णीत
66	पैरा–16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत

35

68	पैरा–16 (iii) (xxiii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (iii) (xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (iii) (xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा–16 (iii) (xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा–16 (iii) (xxvii)	अनिर्णीत
73	पैरा–16 (iii) (xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा–16 (iii) (xxix)	अनिर्णीत
75	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
76	पैरा–18 (क) (i)	अनिर्णीत
77	पैरा–18 (क) (ii)	अनिर्णीत
78	पैरा–18 (ख) (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–18 (ख) (ii)	अनिर्णीत
80	पैरा–18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
81	पैरा–18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
82	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
83	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
84	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
85	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
86	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
87	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
88	पैरा–19 (क) (v)	अनिर्णीत
89	पैरा–19 (क) (vi)	अनिर्णीत
90	पैरा–19 (क) (vii)	अनिर्णीत
91	पैरा–19 (क) (viii)	अनिर्णीत
92	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा–20	अनिर्णीत
94	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
95	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
96	पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
97	पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
98	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
99	पैरा–22 (iv)	अनिर्णीत
100	पैरा–22 (v)	अनिर्णीत
101	पैरा–23	अनिर्णीत
102	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन

549

103.	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत
104	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
105	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
106.	पैरा–24 (घ)	अनिर्णीत
107	पैरा–24 (ङ)	अनिर्णीत
108	पैरा–26	निर्णीत
109.	पैरा–27	अनिर्णीत
110	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
111,	पैरा–30	अनिर्णीत
112,	पैरा–31	अनिर्णीत
113	पैरा–32	अनिर्णीत
114	पैरा–33 (1) (i)	अनिर्णीत
115.	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत
116	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत
117.	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत
118	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत
119	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत
120	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत
121	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत
122	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत
123	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत
124	पैरा–33 (ख) (8) (i)	अनिर्णीत
125	पैरा–33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत
126	पैरा–33 (ख) (8) (iii)	अनिर्णीत
127	पैरा–33 (ख) (8) (iv)	अनिर्णीत
128	पैरा–33 (ख) (9)	अनिर्णीत
129	पैरा–33 (ख) (10)	अनिर्णीत
130	पैरा–33 (ख) (11)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3	निर्णीत
3	पैरा 4 (i)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (iii)	निर्णीत

3

6	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (v)	निर्णीत
8	पैरा–4 (v) (i)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (v) (ii)	अनिर्णीत (₹50/–की वसूली की जानी शेष है)
10.	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
11.	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
12.	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
13.	पैरा–5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत
14.	पैरा–6 (i) से (Lii)	अनिर्णीत
15.	पैरा–7	अनिर्णीत
16.	पैरा–8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (i) से (xii)	अनिर्णीत